मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 अप्रैल 2013-चैत्र 22, शके 1935

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

मध्यप्रदेश वक्फ़ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, नियरताजुल मसाजिद, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी, 2013

(केन्द्रीय वक्फ़ अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन द्वारा गठित)

क्र.Q1/13/7897/A4.—दरगाह ख्वाजा बुरहान उद्दीन चिश्ती, ग्राम कालियादेह, तेहसील घट्टीया, जिला उज्जैन, गज़ट दिनांक 13 सितम्बर,1985 भाग 3 (1) के अनुक्रमांक 705 पर खसरे नं. 165, 290, 294, 301, 302, 292 कुल रकबा 8.488 दर्ज है, उक्त राजपत्र 13 सितम्बर, 1985 के भाग 3 (1) दरगाह ख्वाजा शाह चिश्ती की चिरागे की भूमि. नमूना फॉर्म नं. 36 पट्टा बन्दोबस्त नं. 32, मिनजानिब गर्वमेन्ट गवालियर सम्वत् 1968 जात सम्वत् 1971 मौजा कालेदेह पट्टी पुंजा नाथ वगैराह, परगना उज्जैन, जिला उज्जैन के कदीमी पुराने नं. 201, 205, 210, 212, 213 है. जिनका क्षेत्रफल 4.047 है जिनके पुराने नं. व रकबा निम्न अनुसार हैं:—

खसरा नं.	रकबा	
162/2	0.073	वार्षिक आय कृषि से 6 लाख रुपये साल.
164/1	0.0314	
166	0.199	12.535 हेक्टर सम्पूर्ण भूमि 4 ट्यूबवैल एक कुआँ व 110 mm पाइप लाईन जो नदी से डली है, सिंचित होती है.
167	0.261	
168	0.261	
286/1	0.167	दरगाह उर्स मैदान ट्यूबवैल एक
286/2	0.175	दरगाह उर्स मैदान
287/1	0.126	
287/2	0.010	
289	0.293	

खसरा नं.	रकबा	
291	0.291	
291/1	0.209	
293	0.293	पक्का कुआँ व कब्रिस्तान चालू.
295	0.502	
296	0.204	
267/1	0.021	
300	0.648	आम एक ट्यूबवैल एक.
योग..17	**4.047**	

एस. यू. सैयद,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

(02-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, अली असगर बोहरा ने अपना नाम परिवर्तन कर अब्बास अली टीनवाला कर लिया है. अबसे मुझे इसी नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :
(अली असगर बोहरा)

नया नाम :
(अब्बास अली टीनवाला)
45, विजयनगर, माणिक बाग रोड, इन्दौर (म. प्र.).

(06-बी.)

CHANGE IN NAME

I, ANANT KUMAR AGRAWAL here by declare that I have change my name as ANAND KUMAR AGRAWAL So, from now and in future. I will be known by my new name.

Old Name :
(ANANT KUMAR AGRAWAL)

New Name :
(ANAND KUMAR AGRAWAL)
50, Gulmohar Colony,
Main Indore (M. P.).

(07-B.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार टाडीमेटी लक्ष्मीपति (Tadimeti Lakshmipathy) पिता टाडीमेटी राजन्ना (Tadimeti Rajanna) मूल निवासी विजयवाड़ा, जिला कृष्णा, आंध्रप्रदेश से स्थानांतरित होकर वर्तमान में सी-293, शालीमार बेंगलो पार्क, सुखलिया, जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश) में निवासरत हैं. मैं मेरे पुत्र का नाम टाडीमेटी गुनाभार्गव (Tadimeti Guna Bhargav) से बदलकर सुहास टाडीमेटी (Suhas Tadimeti) कर रहे हूँ. अत: भविष्य में मेरे पक्षकार के पुत्र को टाडीमेटी गुनाभार्गव (Tadimeti Guna Bhargav) के स्थान पर सुहास टाडीमेटी (Suhas Tadimeti) के नाम से जाना जावेगा.

इस सूचना के आधार पर आज दिनांक से मेरे पुत्र का नाम स्कूल, संस्था, निकायों में सुहास टाडीमेटी किया जावेगा एवं सरकारी कार्यालयों में जहां भी मेरे शपथ-पत्र, हस्ताक्षर आदि की आवश्यकता होगी, मैं उसकी पूर्ति करने हेतु तत्पर रहूंगा व उसके नाम से होने वाले समस्त संव्यवहार नवीन नाम से ही किये जावेंगे. सात दिन के अन्दर आपत्ति पेश की जावे.

नरेन्द्र कुमार मौर्य
(एडवोकेट)
ऑफिस एवं निवास—54/9, छत्रीबाग,
सांईनाथ मन्दिर रोड, इन्दौर (म. प्र.).

(03-बी.)

जाहिर सूचना

मेरे पक्षकार चिंतामण पिता जनार्दन पेंडसे, निवासी—1034, सेक्टर सी, सुखलिया, इन्दौर (मध्यप्रदेश) का नाम कुछ शैक्षणिक व शासकीय दस्तावेजों में जैसे कि मेरी पत्नि द्वारा पति का नाम मनोहर पेंडसे अंकित किया है. मनोहर जनार्दन पेंडसे एवं चिंतामण जनार्दन पेंडसे ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति के होकर वह इन दोनों नामों से जाने जाते हैं.

वसीम आर. पटेल,
अभिभाषक.

(05-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, अखिलेश पुत्र श्री कपिल देव मालवीय, निवासी- म. नं. 16, प्रीतम बिहार, सिल्वर स्टेट के सामने, यूनिवर्सिटी रोड, ग्वालियर सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि, पूर्व में मेरा नाम अखिलेश मालवीय था जिसे परिवर्तित कर नया नाम अखिलेश पंडित रख लिया है, भविष्य में अपने नये नाम अखिलेश पंडित के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(अखिलेश मालवीय)

नया नाम :
(अखिलेश पंडित)
पुत्र श्री कपिल देव मालवीय,
निवासी-म. नं. 16, प्रीतम बिहार,
.सिल्वर स्टेट के सामने,
यूनिवर्सिटी रोड, ग्वालियर (म. प्र.).

(08-बी.)

CHANGE IN NAME

I, KAMAL DEEP JHAWAR, here by declare that I have change my name as KAMAL JHAWAR, S/o, LAXMAN JHAWAR So, from now and in future. I will be known by my new name.

Old Name :
(KAMAL DEEP JHAWAR)

New Name :
(KAMAL JHAWAR)
8, Biyabani, Main Road,
102, Sudarshan Towar, Indore (M. P.).

(09-B.)

भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 के अंतर्गत

मेसर्स दिल्ली ट्रेडर्स पंजीयन क्रमांक 01/01/01/005110/11, दिनांक 24 फरवरी, 2011 है. इस फर्म से दिनांक 05 मार्च, 2013 से नये भागीदार श्री बाना सिंह पुत्र श्री माधव प्रसाद, दीपक वर्मा पुत्र श्री मोतीलाल, श्रीमती उमा सिंह पति श्री एच. एस. परिहार एवं श्री दान बहादुर सिंह पुत्र श्री भीमसेन सिंह सम्मिलित हो चुके हैं.

हस्ताक्षर—

1. श्री गंगाधीन पटेल	चालू भागीदार
2. श्री प्रदीप चतुर्वेदी	चालू भागीदार
3. श्री बाना सिंह	सम्मिलित भागीदार
4. श्री दीपक वर्मा	सम्मिलित भागीदार
5. श्रीमती उमा सिंह	सम्मिलित भागीदार
6. श्री दान बहादुर	सम्मिलित भागीदार

इस फर्म का पुराना पता—25, वैशाली नगर, भोपाल से बदलकर जी-2/119, त्रिलंगा, गुलमोहर कॉलोनी, भोपाल हो गया है.

महेश कुमार,
वास्ते दिल्ली ट्रेडर्स,
जी-2/119, गुलमोहर कॉलोनी, भोपाल

(01-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, राजधानी परियोजना, टी. टी. नगर, वृत्त भोपाल

प्ररूप-4

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

जैसाकि ''बदर-ए-जिया मेमोरियल ट्रस्ट'' द्वारा श्री अजीज कुरेशी पुत्र श्री जिया-उल-हसन कार्यालय प्रथम तल, कामर्शियल कॉम्पलेक्स रायल रेसीडेन्सी फेस-2, बावडिया कला, भोपाल ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-2 के तहत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने हेतु निवेदन किया गया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे न्यायालय में दिनांक 12 अप्रैल, 2013 को विचार किया जाएगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखते हों और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों, वे इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथास्थिति विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. उपरोक्त अवधि के व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम .. ''बदर-ए-जिया मेमोरियल ट्रस्ट''.
2. अचल सम्पत्ति .. निरंक
3. चल सम्पत्ति .. निरंक

सुनील दुबे,
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(189)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, डबरा, जिला ग्वालियर

डबरा, दिनांक 14 मार्च, 2013

प्र. क्र. 579/2005-06/बी-121.

भंवरा पुत्र रघुनी आदिवासी

.....आवेदक

बनाम

कन्हई पुत्र पहलू आदिवासी आदि

.....अनावेदक

आवेदक भंवरा पुत्र रघुनी आदिवासी की भूमि का अवैध रूप से कन्हई पुत्र पहलू आदिवासी, निवासी ग्राम मरसेनी के नाम से अन्य व्यक्ति द्वारा बेनामी विक्रय-पत्र कराया जाकर उक्त भूमि पर कब्जा किये हुये है. जिसके संबंध में आदिवासी की भूमि वापिस कराये जाने बाबत् इस न्यायालय में प्रकरण प्रचलित है. उक्त प्रकरण में अनावेदक कन्हई पुत्र पहलू आदिवासी निवासी ग्राम मरसेनी को तामील का निर्वाह नहीं हो पा रहा है. इस कारण जरिये सूचना-पत्र यह सूचना प्रकाशित की जाकर अनावेदक कन्हई पुत्र पहलू आदिवासी को आगाह किया जाता है कि वह नियत दिनांक 10 अप्रैल, 2013 को स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से जिसे प्रकरण का हाल अच्छी तरह समझा दिया गया हो उपस्थित होवें. उपस्थित न होने की दशा में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी तथा प्रकरण एकपक्षीय रूप से निराकृत कर दिया जावेगा.

अनुराग चौधरी,
अनुविभागीय अधिकारी.

(182)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, बैरागढ़ वृत्त, जिला भोपाल

क्र. 5/बी-113/बैरा. वृत/13. भोपाल, दिनांक 1 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा- 5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष. रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल.

जैसाकि श्री मो. खालिद कुरैशी, आ. मो. अफजल कुरैशी, अध्यक्ष, महक चेरीटेबल ट्रस्ट, एच. ए. 24, एन. आर. आई. कॉलोनी, कोहेफिजा, जिला भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

2. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2013 को विचार में लिया जावेगा. यदि कोई व्यक्ति या संस्था जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में दो प्रतियों में सूचना के प्रकाशन के एक माह में मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता .. एच. ए.-24, एन. आर. कॉलोनी, कोहेफिजा, भोपाल.

अचल सम्पत्ति .. बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा सेफिया कॉलेज, अहमदाबाद पैलेस, भोपाल में खाता क्रमांक में रुपये 10,000/-

चल-अचल सम्पत्ति .. निरंक.

चन्द्र मोहन मिश्रा,
रजिस्ट्रार.

(183)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, तहसील हुजूर, भोपाल

प्रकरण क्रमांक /बी-113/12-13.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा- 5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

जैसाकि "नारायण राव बहाड़ स्मृति ट्रस्ट" प्लाट नं. 153, एलीगेंट स्टेट श्री गणेश सांई मंदिर, इनायतपुर, कोलार रोड, भोपाल की ओर से ट्रस्टी सुशीला बहाड़ द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 14 मार्च, 2012 को विचार में लिया जावेगा, कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के "एक माह" के भीतर प्रस्तुत करे अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष स्वयं या अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम व पता .. "नारायण राव बहाड़ स्मृति ट्रस्ट" प्लाट नं. 153, एलीगेंट स्टेट, श्री गणेश सांई मंदिर, इनायतपुर, कोलार रोड, भोपाल.

2. चल सम्पत्ति .. 5,000/- (पांच हजार रुपये).

3. अचल सम्पत्ति .. कुछ नहीं.

आज दिनांक 11 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया.

राजेश श्रीवास्तव,
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(184)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, लोक न्यास, वारासिवनी, जिला बालाघाट

रा. प्र. क्र. /बी-113 (1) 2010-11. **प्रारूप-चार**

[नियम-5 (1) देखिये]

ग्राम-सोनेगांव, तहसील-तिरोडी,
जिला-बालाघाट.

[मध्यप्रदेश लोक न्यायालय अधिनियम, 1951 की धारा-30 की उपधारा-2 और (मध्यप्रदेश) लोक न्यास नियम, 1962
नियम-5 (1) देखिये (पंजीयन)]

लोक न्यास, वारासिवनी (बालाघाट जिले की संस्था).

चूंकि सिद्ध स्थल बाबा कुटी शिवमन्दिर समिति, सोनेगांव, ट्रस्ट सोनेगांव, तहसील तिरोड़ी, जिला बालाघाट द्वारा श्री मुकेश ठाकुर, ब्लॉक उपाध्यक्ष, श्री यु. डी. परिहार (से. नि. रा. नि.) उपाध्यक्ष, निवासी सोनेगांव, तहसील तिरोड़ी, जिला बालाघाट (मध्यप्रदेश) द्वारा पब्लिक ट्रस्ट के रूप में ट्रस्ट का पंजीयन कराने हेतु आवेदन लोक न्यास अधिनियम की धारा-30 की उपधारा-4 के अधीन समूह सूची में लोक न्यास अधिनियम तहत निर्दिष्ट की संपत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है.

अतः मैं, वारासिवनी, जिला बालाघाट का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 14 जनवरी, 2011 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-1 के द्वारा तथ्य अपेक्षित करना प्रस्तावित करता है.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या उसमें हित रखने या उसको कोई आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाला व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर मेरे न्यायालय में उक्त दिनांक 14 जनवरी, 2011 को या अपने अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् कोई विचार नहीं किया जावेगा.

लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन

ट्रस्ट की चल-अचल सम्पत्ति के नाम रहेगी.

नाम व पता : सिद्ध स्थल बाबा कुटी शिवमन्दिर समिति, सोनेगांव, तहसील तिरोड़ी, जिला बालाघाट.

आज दिनांक मेरे पद मुद्रा से जारी.

ए. डी. श्रीवास्तव,
(185) अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं पब्लिक ट्रस्ट अधिकारी, लखनादौन, जिला सिवनी

रा. प्र. क्र. 03 /बी-113 /2012-13. जारी, दिनांक 22 मार्च, 2013

ग्राम लखनादौन प.ह.नं. 39,
रा.नि.मं. लखनादौन, तह. लखनादौन,
जिला सिवनी.

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमति ममता शर्मा, एडवोकेट, निवासी लखनादौन, जिला सिवनी द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत लोक न्यास के पंजीयन के लिये आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि लोक न्यास का नाम साईं बाबा सेवा संस्थान साईं धाम पानी की टंकी के नीचे, लखनादौन की भूमि शासकीय खसरा नम्बर 391, रकवा 0.206 मद आवादी म. प्र. शासन आवादी मद में दर्ज है. जिस पर 45×90 फुट में दर्ज पक्का मंदिर निर्मित है. जिसमें निम्नांकित सामग्री स्थित है. साईं बाबा मूर्ति 5-3 आसन सहित साईं बाबा की रंगीन फोटो, सीलिंग फेन चार, घास की सकड़ी एक, दान पेटी एक, पलंग, बाबा जी की सेज एक, दिवार घड़ी एक, स्पीकर सेट इन्वेटर सहित एक, ढोलक एक, मंजीरा चार, थाली एक चांदी की, लोटा एक चांदी का, गिलास एक चांदी का, सोम दो तांबे के मुकुट एक चांदी का, रूद्राक्ष माला एक, आसमानी कपड़ा एक, रुद्राक्ष माला एक चांदी, पेटी एक, भंडारा के वर्तन एक गंज बड़ा सम्मिलित है. अतः उक्त न्यास का उद्देश्य सार्वजनिक न्यास के निष्पादन हेतु किया गया है. न्यास का उद्देश्य आम जनता को उपयोग के लाभ हेतु किया गया है.

उक्त न्यास के पंजीयन किये जाने में जिस किसी व्यक्ति को आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो उक्त संदर्भ में कोई भी आम नागरिक न्यायालय में दिनांक 22 अप्रैल, 2013 को उपस्थित होकर स्वयं या अपने वैध अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है. समयावधि पश्चात् प्राप्त आपत्ति/दावा प्राप्त होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा और यह समझा जावेगा की उक्त संबंध में कोई भी दावा, आपत्ति विचार करने में रुचि नहीं है. आवेदक के आवेदन प्रक्रिया आगे बढ़ाई जावे और साईं बाबा सेवा संस्थान, पानी की टंकी के नीचे, लखनादौन, जिला सिवनी का गठन किया जावे.

इश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी.

पेशी दिनांक 22 अप्रैल, 2013

(190)

जारी, दिनांक 22 मार्च, 2013

रा.प्र. क्र. 01/बी-113 /2011-12.

ग्राम-आदेगांव,
तहसील लखनादौन,
जिला सिवनी, म. प्र.

एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि रामेश्वर प्रसाद गुप्ता पिता श्री शंकरलाल गुप्ता, निवासी ग्राम-आदेगांव, हाल मुकाम, शांति कुंज 13, पंजाब राव देशमुख, नगर संत, गजानंद महाराज मंदिर, अकोला, महाराष्ट्र द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 की उप-धारा-3 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र वास्ते "स्व. श्री कुंजीलाल नेमा मास्टर मेमोरियल पार्वती चेरिटेबल ट्रस्ट" के पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया गया है. स्व. श्री कुंजीलाल नेमा मास्टर मेमोरियल पार्वती चेरिटेबल ट्रस्ट के सदस्यों के नाम खाता क्रमांक 3146, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा आदेगांव में राशि 16,988.00 रुपये नगद जमा है, इसके अतिरिक्त ग्राम आदेगांव, तहसील लखनादौन, जिला सिवनी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 620 रकबा 3.72 हे.में से 0.50 हेक्टेयर भूमि (1.25 एकड़ भूमि) जो ट्रस्टी रामेश्वर प्रसाद, द्वारका प्रसाद, अरुण कुमार पिता शंकरलाल गुप्ता के नाम से दर्ज है, को उक्त ट्रस्ट में शामिल की गई है, जो ट्रस्टी के द्वारा प्रस्तावित है.

अत: उक्त न्यास के पंजीयन किये जाने में जिस किसी व्यक्ति को आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो उक्त संदर्भ में कोई भी आम नागरिक न्यायालय में दिनांक 04 अप्रैल, 2013 को उपस्थित होकर स्वयं या अपने वैध अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है. समयावधि पश्चात् प्राप्त आपत्ति/दावा प्राप्त होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा और यह समझा जावेगा की उक्त संबंध में कोई भी दावा आपत्ति विचार करने में रुचि नहीं है. तद्नुसार आवेदक के आवेदन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जावेगी और स्व. श्री कुंजीलाल नेमा, मास्टर मेमोरियल पार्वती चेरिटेबल ट्रस्ट, आदेगांव, तहसील लखनादौन, जिला सिवनी का गठन किया जावे.

इश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी.

पेशी दिनांक 22 अप्रैल, 2013

लता पाठक,
अनुविभागीय अधिकारी.

(190-A)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पंजीयक, लोक न्यास, मण्डलेश्वर, जिला खरगौन

मण्डलेश्वर, दिनांक 18 मार्च, 2013

रा. प्र. क्र. 02/बी-113/ 2010-11.

फॉर्म-चार

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) तथा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर आवेदक श्री अशोक कुमार पिता गेंदालाल सोनी, मुख्य संस्थापक न्यासी ग्राम गुलावड, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन मध्यप्रदेश का पंजीयन किये जाने का निवेदन किया है.

उक्त आवेदन-पत्र न्यास गठन की कार्यवाही मेरे न्यायालय में प्रचलित है. यदि कोई व्यक्ति या हितबद्ध पक्षकार उक्त न्यास के गठन या पंजीयन के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना चाहता है तो वह अपनी आपत्ति या सुझाव लिखित में इस सूचना प्रकाशन के 30 दिवस की अवधि में मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकता है. निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी आपत्ति/सुझाव मान्य नहीं किया जावेगा.

(लोक न्यास का नाम पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

1.	न्यास का नाम	:	सलुब्रिअल इण्डिया बेनेवलेन्ट, ग्राम गुलावड, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन, म. प्र.
2.	न्यास का पता	:	श्री अशोक कुमार पिता गेंदालाल सोनी, मुख्य संस्थापक न्यासी ग्राम गुलावड, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन, म. प्र.
3.	चल संपत्ति	:	5,000/- एवं कार्यालय हेतु दो कुर्सी, एक टेबल.
4.	अचल संपत्ति	:	निरंक

यह सूचना आज दिनांक ..... मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी की गई.

आर. एस. बालोदिया,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(186)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, खण्डवा

प्र. क्र. /बी-113 (1)/2012-13. दिनांक 4 मार्च, 2013 को जारी

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसाकि- आयोध्यावासी स्वर्णकार समाज न्यास निमाड-मालवा अंचल ओंकारेश्वर ने अनुसूची में दर्शित न्यास/सम्पत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 29 मार्च, 2013 को विचार किया जायेगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा सम्पत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता / अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता	:	आयोध्यावासी स्वर्णकार समाज न्यास निमाड-मालवा अंचल ओंकारेश्वर, तहसील खण्डवा.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 1100/- नगद.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

(187)

प्र. क्र.04/बी-113 (1)/2012-13. दिनांक 4 मार्च, 2013 को जारी

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसाकि- लखनलाल आनंद कुमार चेरीटेबल ट्रस्ट, खण्डवा, जिला खण्डवा ने अनुसूची में दर्शित न्यास/सम्पत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 23 मार्च, 2013 को विचार किया जायेगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा सम्पत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता / अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता	:	लखनलाल आनंदकुमार चेरीटेबल ट्रस्ट, खण्डवा, तहसील खण्डवा.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 21,000/- नगद.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक

हरिसिंह चौधरी,

(187-A) अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./528.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 708, दिनांक 18 फरवरी, 2002 के द्वारा भारतीय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक DRB-501, दिनांक 1 अक्टूबर, 1986 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री सुनील अग्रवाल, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(188)

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./529.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 3222, दिनांक 11 अगस्त, 2011 के द्वारा भीमकृष्णा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक DRB/968, दिनांक 20 जनवरी, 2004 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्रीमती मीरा देवी, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की

धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(188-A)

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./530.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 3223, दिनांक 11 अगस्त, 2011 के द्वारा राजारामचन्द्र गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक DRB/976, दिनांक 20 नवम्बर, 2004 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्रीमती मीरा देवी, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(188-B)

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./531.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 614, दिनांक 8 फरवरी, 2002 के द्वारा ग्रीन रायल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक DRB/237, दिनांक 20 अगस्त,1981 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री सुनील अग्रवाल, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(188-C)

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./532.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 614, दिनांक 8 फरवरी, 2002 के द्वारा विक्रयकर कर्म. गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 237, दिनांक 20 अगस्त,1981 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री सुनील अग्रवाल, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(188-D)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

कु. पूनम साकेत,
प्रभारी अधिकारी,
मोनालिसा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल.
पता:—. . . . . .

मोनालिसा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./664, दिनांक 4 सितम्बर, 1995 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा वर्ष 2011-12 की अंकेक्षण टीप में उल्लेखित निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं.
3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है.
4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/15-1-99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 8 अप्रैल, 2013 को कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें.

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के संबंध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको प्रकरण के संबंध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 6 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(188-E)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष,

सरिता गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल.

पता:—171, पंचशील नगर, भोपाल.

सरिता गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./574, दिनांक 21 मार्च, 1994 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा वर्ष 2011-12 की अंकेक्षण टीप में उल्लेखित निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है:—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं.
3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है.
4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं.

अत: मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/15-1-99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 8 अप्रैल, 2013 को कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें.

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के संबंध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको प्रकरण के संबंध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 6 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(188-F)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

श्री ओ. पी. शर्मा,

प्रभारी अधिकारी,

पिंक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल.

पता:—. . . . . .

पिंक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./519, दिनांक 4 अक्टूबर, 1988 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा वर्ष ..... की अंकेक्षण टीप में उल्लेखित निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है.

2. संस्था का रिकॉर्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं.

3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है.

4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/15-1-99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 8 अप्रैल, 2013 को कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें.

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के संबंध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको प्रकरण के संबंध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 6 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(188-G)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष,

सहकारिता विभाग अधि. गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल.

पता:—एफ-124/32, शिवाजी नगर, भोपाल.

सहकारिता विभाग अधि. गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./670, दिनांक 6 अक्टूबर, 1995 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा वर्ष 2011-12 की अंकेक्षण टीप में उल्लेखित निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है.

2. संस्था का रिकॉर्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं.

3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है.

4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/15-1-99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 8 अप्रैल, 2013 को कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें.

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के संबंध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको प्रकरण के संबंध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 6 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(188-H)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,
श्री ओ. पी. शर्मा,
प्रभारी अधिकारी,
न्यू विकास गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल.
पता:—. . . . . .

न्यू विकास गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./253, दिनांक 8 सितम्बर, 1981 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा वर्ष 2011-12 की अंकेक्षण टीप में उल्लेखित निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं.
3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है.
4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/15-1-99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 8 अप्रैल, 2013 को कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें.

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के संबंध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको प्रकरण के संबंध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 6 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(188-I)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,
श्री सुनील अग्रवाल,
प्रभारी अधिकारी,
नव सहयोग गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल.
पता:—. . . . . .

नव सहयोग गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./249, दिनांक 7 सितम्बर, 1981 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा वर्ष 2011-12 की अंकेक्षण टीप में उल्लेखित

निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की हैं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं.
3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है.
4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं.

अत: मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/15-1-99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 8 अप्रैल, 2013 को कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें.

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के संबंध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको प्रकरण के संबंध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 6 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(188-J)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,
श्रीमति रीता मिश्र,
प्रभारी अधिकारी,
सृष्टि गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल.
पता:—. . . . . .

सृष्टि गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./609, दिनांक 20 अक्टूबर, 1994 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा वर्ष 2011-12 की अंकेक्षण टीप में उल्लेखित निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं.
3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है.
4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं.

अत: मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/15-1-99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 8 अप्रैल, 2013 को कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें.

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के संबंध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको प्रकरण के संबंध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 6 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(188-K)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,
श्री मनोज श्रीवास्तव
अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,
ज्योति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल.
पता:—. . . . . .

ज्योति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./627, दिनांक 23 फरवरी, 1995 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा वर्ष 2011-12 की अंकेक्षण टीप में उल्लेखित निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं.
3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है.
4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं.

अत: मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/15-1-99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 8 अप्रैल, 2013 को कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें.

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के संबंध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको प्रकरण के संबंध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 6 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(188-L)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,
श्री अभय देशपाण्डेय,
प्रभारी अधिकारी,
नवनीत गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल.
पता:—. . . . . .

नवनीत गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./549, दिनांक 5 दिसम्बर, 1991 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा वर्ष 2011-12 की अंकेक्षण टीप में उल्लेखित

निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं.
3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है.
4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/15-1-99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 8 अप्रैल, 2013 को कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें.

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के संबंध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको प्रकरण के संबंध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 6 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(188-M)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,
श्री आर. के. पाटिल,
प्रभारी अधिकारी,
अमूल्य गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल.
पता:—. . . . . .

अमूल्य गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./737, दिनांक 17 अप्रैल, 1997 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा वर्ष 2011-12 की अंकेक्षण टीप में उल्लेखित निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं.
3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है.
4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/15-1-99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 8 अप्रैल, 2013 को कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें.

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के संबंध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको प्रकरण के संबंध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 6 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(188-N)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,
श्री पी. एल. चिल्ले,
प्रभारी अधिकारी,
विधान नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल.
पता:—. . . . . .

विधान नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./584, दिनांक 8 अगस्त, 1995 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा वर्ष 2011-12 की अंकेक्षण टीप में उल्लेखित निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं.
3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है.
4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं.

अत: मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/15-1-99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 8 अप्रैल, 2013 को कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें.

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के संबंध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको प्रकरण के संबंध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 6 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(188-O)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,
अध्यक्ष
एसोसिएट्स गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल.
पता:—9, मारवाडी रोड, भोपाल.

एसोसिएट्स गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./221, दिनांक 9 जुलाई, 1981 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थायें, जिला भोपाल द्वारा वर्ष 2011-12 की अंकेक्षण टीप में उल्लेखित निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं.

3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है.

4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं.

अत: मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/15-1-99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 8 अप्रैल, 2013 को कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें.

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के संबंध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको प्रकरण के संबंध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 6 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

आर. एस. विश्वकर्मा,
उप-पंजीयक.

(188-P)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना

गुना, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1571.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1231, दिनांक 28 अगस्त, 2000 से प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., डिगडौली, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 692, दिनांक 26 नवम्बर, 1991 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया, आदेश क्रमांक/परिसमापन/1202, दिनांक 20 सितम्बर, 2010 से श्री सतीश अग्रवाल, S.A. को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना योग्य है.

अत: मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, डिगडौली, पंजीयन 692, दिनांक 26 नवम्बर, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(169-B)

गुना, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1572.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1231, दिनांक 28 अगस्त, 2000 से प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., रामपुर, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 698, दिनांक 15 अक्टूबर, 1991 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया, आदेश क्रमांक/परिसमापन/1202, दिनांक 20 सितम्बर, 2010 से श्री सतीश अग्रवाल, S.A. को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना योग्य है.

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, रामपुर, पंजीयन 698, दिनांक 15 अक्टूबर, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

उमेश कुमार तिवारी,
उप-पंजीयक.

(169-C)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2013.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 अप्रैल 2013-चैत्र 22, शके 1935

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 26 दिसम्बर, 2012

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, दमोह, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, शाजापुर, सीहोर, मण्डला, सिवनी व कटनी में रबी फसल की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला कटनी में फसल गेहूँ व सिंगरौली में गेहूँ, जौ, आलू, डिण्डोरी में गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, मटर व श्योपुर, ग्वालियर, दमोह, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, देवास, खरगोन, मण्डला तथा सीधी, सिवनी में रबी फसल की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**—

5. **कटाई.**—जिला बुरहानपुर व भोपाल में फसल तुअर तथा मण्डला में कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, गुना, छतरपुर, सागर, शहडोल, उमरिया में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य में प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 26 दिसम्बर, 2012

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .		
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .		4. (1) तुअर, राई-सरसों, अलसी.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. विजयपुर	. .				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अटेर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	. .		4. (1) गन्ना, मूँगफली, उड़द अधिक. तिल, मूँगमोठ, तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. भितरवार	. .				
4. घाटीगांव	. .				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) . .		
3. भाण्डेर	. .				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) गन्ना, मूँगफली अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुंगावली	. .		4. (1) उड़द, सोयाबीन, गन्ना अधिक. मक्का कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. राघोगढ़	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) गन्ना, तुअर, गेहूँ, राई-सरसों, अलसी, चना, मटर, मसूर, जौ.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. ओरछा	. .				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	. .		4. (1) ज्वार, अरहर कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ा मलहरा	. .				
8. बकस्वाहा	. .				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	. .		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन, तिल कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	. .		(2) . .		
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	. .				
5. शाहनगर	. .				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, मसूर, तिवड़ा, अलसी, मटर, आलू, प्याज समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बण्डा	. .				
4. सागर	. .				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. शाहगढ़	. .				
11. मालथोन	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) ज्वार, तुअर, गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .				
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) तुअर, मसूर कम. गेहूँ, चना, अलसी, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .				
3. रामपुर-बघेलान	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .		4. (1) अरहर कम. गेहूँ, चना, अलसी, जौ, मसूर, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .				
3. मऊगंज	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7.रायपुरकर्चुलियान	. .				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) राई-सरसों, अलसी, चना, गेहूँ, मटर, मसूर कम. तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .				
3. जैसिंहनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. जैतपुर	. .				
5. गोहपारू	. .				
6. बुढार	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .		4. (1) राई-सरसों, अलसी, गेहूँ, चना, मसूर अधिक. राहर, कोदों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .				
3. कोतमा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. पुष्पराजगढ़	. .				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) अरहर, गेहूँ, चना, जौ, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .				
3. मानपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	. .		4. (1) अलसी, राई-सरसों, चना, मटर, मसूर , गेहूँ, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझोली	. .				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं गेहूँ, जौ, आलू की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) ज्वार, अरहर, मूँग, अलसी, राई-सरसों, चना, गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) . .		
3. सिंगरौली	. .				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	. .		4. (1) गेहूँ, सरसों अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .		
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	. .				
6. सीतामऊ	. .				
7. धुन्धड़का	. .				
8. शामगढ़	. .				
9. संजीत	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर,मटर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मनासा	. .				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
***जिला उज्जैन :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. खाचरौद	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. महिदपुर	. .		(2) . .		
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) . .		
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
5. बड़ौद	. .				
6. शाजापुर	. .				
7. शुजालपुर	. .				
8. कालापीपल	. .				
9. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन अधिक. ज्वार, मक्का, कपास कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. थांदला	. .		4. (1) कपास, मक्का, गेहूँ, चना अधिक. मिर्च, टमाटर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोबट	. .		4. (1) चना, गेहूँ अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. सोण्डवा	. .				
4. भामरा	. .				
5. कट्ठीवाड़ा	. .				
6. उदयगढ़	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .		4. (1) चना अधिक. गेहूँ, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .		
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास, मूँगफली, तुअर, गेहूँ, चना, राई-सरसों, मटर, मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सनावद	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. महेश्वर	. .				
4. सेगांव	. .				
5. करही	. .				
6. खरगोन	. .				
7. गोगावां	. .				
8. कसरावद	. .				
9. मुल्ठान	. .				
10. भगवानपुरा	. .				
11. भीकनगांव	. .				
12. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला बड़वानी:**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़वानी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) . .		
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
***जिला पूर्व-निमाड़ :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पंधाना	. .		(2) . .		
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. तुअर की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) तुअर अधिक. कपास कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. गन्ना, ज्वार, चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .		मक्का, मूँगफली, तिल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. लटेरी	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, तिवड़ा, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		राई-सरसों.	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .		(2) . .		
4. बासौदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. ग्यारसपुर	. .				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. तुअर की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) तुअर, गन्ना, मटर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .	. .	
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, तिवडा,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		सरसों, अलसी.	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	. .		(2) . .		
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. उदयपुरा	. .				
***जिला बैतूल :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. भैंसदेही	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. शाहपुर	. .		(2) . .		
3. बैतूल	. .				
4. मुलताई	. .				
5. आमला	. .				
जिला होशंगाबाद	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, तुअर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) गेहूँ.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोरा	. .		4. (1) धान, सोयाबीन.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	. .				
4. मझौली	. .				
5. कुण्डम	. .				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की जुताई एवं	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .	गेहूँ की बोनी का कार्य	4. (1) चना, गेहूँ, मसूर, अलसी, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .	चालू है.	जौ, मटर.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला नरसिंहपुर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गाडरवारा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. करेली	. .		(2) . .		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का व कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) गेहूँ, चना, बटरा, मसूर, अलसी. समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नैनपुर	. .				
4. मण्डला	. .				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, मटर की बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) तुअर, राई-सरसों, गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, मटर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) . .		
3. परासिया	. .				
4. जामई (तामिया)	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
10. हर्रई	. .				
11.मोहखेड़ा	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी की बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों अधिक. मटर, मसूर, तिवड़ा, (लाख), अलसी कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. लखनादौन	. .				
4. बरघाट	. .				
5. कुरई	. .				
6. घंसौर	. .				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) गेहूँ, चना, उड़द, अलसी, राई-सरसों, मटर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला उज्जैन, बड़वानी, पूर्व निमाड़, बैतूल, नरसिंहपुर से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(181)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2013.